A4/1

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
## पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 89/2017

जीसीएमएस नम्बर : 2017/00377

| प्रार्थीया:– | बनाम | अप्रार्थी :– |
|---|---|---|
| घीसी पत्नी मालाराम जाति चौधरी निवासी ठाकुरजी का गुडा तहसील देसूरी जिला पाली | | 1. सरपंच ग्राम पंचायत गजनीपुरा तहसील देसूरी जिला पाली |

**पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994**

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित।

**–: निर्णय :–**

दिनांक : 6.6.2024

प्रार्थीया की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत गजनीपुरा द्वारा प्रस्ताव संख्या 15 दिनांक 15.07.2017 में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थीया का रहवासी मकान ग्राम गुडा ठाकुरजी में आबादी बस्ती में आया हुआ है जो 40 बाई 60 का है जिसके पडौस पूर्व दिशा में खिवाडा टोकरला रोड, पश्चिम दिशा में गली व गुली के पीछे फुआराम चौधरी का मकान, उत्तर दिशा में गोचर भूमि तथा दक्षिण दिशा में गाडोलिया वक्तावरी बेवा भीकाराम का कब्जा है। जैर आराजी मकान प्रार्थीया को नसबंदी अभियान में नसबंदी कराने के संदर्भ में ग्राम पंचायत द्वारा निःशुल्क पट्टा दिया गया था। प्रार्थीया के पट्टे के विरूद्ध पूर्व में निर्णित निगरानी संख्या 5/2014 में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2015 के द्वारा विक्रय विलेख 38 निरस्त कर ग्राम पंचायत गजनीपुरा को रिमाण्ड कर निर्देश दिये की भूमि की किस्म बाबत् जांच करे कि भूमि गोचर है या आबादी। बाद जॉच वक्त सुनवाई के पश्चात नियमों के तहत विधिवत कार्यवाही करते हुये न्यायसंगत आदेश पारित करे परन्तु ग्राम पंचायत ने न तो आदेश दिनांक 08.06.2015 में प्रदत्त निर्देशों की पालना की और न ही प्रार्थीया को सुना। ग्राम पंचायत ने बाले बाले ही प्रस्ताव संख्या 15 दिनांक 15.07.2017 पारित कर लिया जो विधिविरूद्ध होने से खारिज करमावे।

अधिवक्ता प्रार्थीया की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत गजनीपुरा द्वारा प्रस्ताव संख्या 15 दिनांक 15.07.2017 में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीया के पक्ष में निःशुल्क पट्टा संख्या 38 जारी किया गया था

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जिसके सम्बन्ध में श्रीमान जिला कलक्टर महादोय, पाली द्वारा निगरानी संख्या 05/2014 मे पारित निर्णय दिनांक 08.06.2015 के द्वारा प्रार्थीया का विक्रय विलेख संख्या 38 निरस्त कर ग्राम पंचायत गजनीपुरा को प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया था कि किस्म बाबत जांच करे कि वर्णित पट्टा भूमि गोचर है या आबादी ? बाद जांच व सुनवाई के पंचायत नियमों में दिये गये प्रावधानों के तहत विधिवत कार्यवाही करते हुए न्यायसंगत आदेश पारित करे।

ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 15 दिनांक 15.07.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जैर निगरानी प्रस्ताव में केवल मात्र यह अंकित है कि आदेशानुसार पुनः मौका देखा गया परन्तु यह कही पर भी अंकित नहीं है कि विलेख संख्या 38 की भूमि गोचर में है अथवा आबादी और न ही मौके पर तैयार किसी मौका फ़र्द का अंकन है। साथ ही जैर प्रस्ताव में विधिनुसार निर्णय पारित करने से पूर्व प्रार्थीया को सुना गया ऐसा भी कोई तथ्य अंकित नहीं है। लिहाजा यह स्पष्ट है कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में प्रदत्त निर्देशों की पालना किये बगैर ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी प्रस्ताव पारित कर दिया जो नियमानुसार सही नहीं होने से यथावत रखा जाना न्यायसंगत नहीं है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत गजनीपुरा द्वारा प्रस्ताव संख्या 15 दिनांक 15.07.2017 में पारित आदेश को अपास्त किया जाता है। ग्राम पंचायत गजनीपुरा को निर्देशित किया जाता है कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.06.2015 में प्रदत्त निर्देशों की पालना करते हुये राजस्व टीम के सहयोग से मौके पर सीमाज्ञान करते हुए स्पष्ट जांच करे कि विक्रय विलेख संख्या 38 आबादी भूमि में है या गोचर। साथ ही मौके पर मौका फर्द तैयार कि जाकर प्रार्थीया को सुना जाकर पंचायतीराज नियमों के तहत नियमानुसार निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर. पाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 6/6/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर. पाली